नवभारत
छत्तीसगढ़ • ओडिशा
Raipur Main - 21 Jul 2025 - 21p09
epaper.navabharat.news

13 वर्षीय छात्रा से छेड़छाड़, आरोपी शिक्षक की अपील किया खारिज

निचली अदालत से मिली है 5 वर्ष कैद व दो हजार रुपए अर्थदंड की सजा

घटना के दिन अवकाश पर होने का दिया हवाला लेकिन कोर्ट ने नहीं स्वीकार किया

नवभारत ब्यूरो। बिलासपुर।

हाईकोर्ट ने अपने ही स्कूल में पढ़ने वाली 13 वर्ष की छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने के आरोपी शिक्षक की सजा के खिलाफ पेश अपील खारिज कर दी है। रजिस्ट्री को आदेश की प्रति संबंधित जेल अधीक्षक को शेष सजा पूरा करने प्रेषित करने का निर्देश दिया है। शिक्षक को 5 वर्ष कैद एवं 2000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।

अपीलकर्ता अमित सिंह शासकीय हाई स्कूल में व्याख्याता के पद में कार्यरत था। स्कूल में पढ़ने वाली 13 साल की छात्रा की मां ने 25 अगस्त 2022 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि शिक्षक उसकी पुत्री के साथ छेड़छाड़ की है। पुलिस ने रिपोर्ट पर पीड़िता के अनुसूचित जाति, जनजाति का सदस्य होने के कारण, भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के अंतर्गत तथा यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 10 और अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1) के तहत अपराध दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया। विचारण न्यायालय ने दोष साबित होने पर आरोपी को यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 10 के अंतर्गत दोषी करार दिया गया और उसे 5 वर्ष के लिए 2000 रुपये के जुर्माने सहित कारावास की सजा सुनाई। सजा के खिलाफ शिक्षक ने हाईकोर्ट में अपील पेश कर कहा कि आरोपित ने सूचना के अधिकार के तहत स्कूल से घटना दिनांक के उपस्थिति रजिस्ट्रर की प्रति प्राप्त की, जिसमें उसके 25 अगस्त को स्कूल में नहीं होने एवं अकास्मिक अवकाश में होने की बात कही गई। इसे साक्ष्य के रूप में पेश किया गया था। न्यायालय ने उक्त दस्तावेज में सिर्फ स्कूल के प्राचार्य का हस्ताक्षर होने के कारण साक्ष्य के रूप में अस्वीकार किया था। इसके अलावा अपीलकर्ता ने 25 अगस्त के अलावा अन्य दिनों में भी छात्रा से छेड़छाड़ की थी।

पीड़िता की गरिमा को ठेस पहुंचाई

जस्टिस संजय के अग्रवाल ने अपीलकर्ता एवं शासन के पक्ष को सुनने के बाद अपने आदेश में कहा कि अपीलकर्ता ने 25 अगस्त 2022 को पीड़िता की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। पीड़िता और उसकी मां दुबारा सिद्ध किया गया है और इस संबंध में उनके बयानों पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। इसके अलावा, अपीलकर्ता का बचाव कि वह 25 अगस्त 2022 को आकस्मिक अवकाश पर था, इसे कानून के अनुसार प्रस्तुत नहीं किया जा सका। कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए रजिस्ट्री को निर्देश दिया है कि वह इस निर्णय की एक प्रति संबंधित जेल अधीक्षक को भेजे जहां अपीलकर्ता अपनी जेल की सजा काट रहा है।